


तारीख हुक्म 28 / 2022	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की ता में जारी हु	8/6/22 पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट डाबला पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम भटेड़ा प0ह0 घरटा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। <div style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा </div>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 28 /2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1-3 कमलेश कुमार, प्रकाशचन्द, हरकचन्द पुत्र माणकचन्द महाजन (जैन) निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- गोविन्द सिंह पुत्र दीप सिंह राजपूत निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2- काना पुत्र लादु खटीक निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- रामचन्द्र पुत्र गंगाराम कीर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 4- लाल पुत्र जबरा भील निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 5- हरी पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 6- बाबु पुत्र बशीर खां निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 7- राजु पुत्र धन्ना कीर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 8-9 प्रताप सिंह, लाला सिंह पुत्र गट्टु सिंह राजपूत निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 10- मिठू पुत्र लादु नाई निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 11-12 बंदी, द्वारका पुत्र हजारी तेली निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 13- देबी पुत्र लादु कुम्हार निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 14- घनश्याम पुत्र प्रेम सिंह राजपूत निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 15-16 गिरधर सिंह, देवी सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 17- कन्हैया लाल पुत्र जीवनराम तोतला निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 18- कैलाश पुत्र सोहन दरगड़ निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 19- नंदा पुत्र माधु गढ़वाल निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 20- हरी प्रसाद पुत्र सुवालाल गुर्जर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 21- रामा पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 22- रामभंवर पुत्र गणपत सिंह राजपूत निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 23- मैरू लाल पुत्र देवी लाल कटवाल निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 24- शत्रुघन सिंह पुत्र लादु सिंह राजपूत निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 25- सुशीला पत्नी राधेश्याम शर्मा निवासी भटेड़ा तहसील बनेड़ा
- 26- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा डाबला तहसील बनेड़ा
- 27- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बनेड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 08/06/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भटेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1685/1427, 1757/1444, 314, 370, 371, 372, 373 कुल कित्ता 7 रकबा 4.1481 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते

158


की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम भटेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1685/1427, 1757/1444, 314, 370, 371, 372, 373 कुल किता 7 रकबा 4.1481 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम भटेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1685/1427, 1757/1444, 314, 370, 371, 372, 373 कुल किता 7 रकबा 4.1481 है0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक डाबला को 1600/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य कार्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक डाबला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय डाबला पर सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा